रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138] नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 1987/आषाढ़ 8, 1909
No. 138] NEW DELHI, MONDAY, JULY 29, 1987/ASADHA 8, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 29 जून, 1987

अधिसूचना

सं. एफ. 4(5) डब्ल्यू एण्ड एम/87 :—10.50 प्रतिशत ऋण, 1997 (दूसरा निर्गम) और 11.00 प्रतिशत ऋण, 2002 (दूसरा निर्गम) के लिये 900 करोड़ रुपयों की कुल राशि के वास्ते 14 जुलाई 1987 को बैंकिंग समय की समाप्ति तक अभिदान नकदी में अथवा भारत सरकार के 6.00 प्रतिशत ऋण, 1987 और 5½ प्रतिशत ऋण, 1987 की प्रतिभूतियों के रूप में स्वीकार किये जायेंगे । परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा 14 जुलाई 1987 को छुट्टी घोषित किये जाने पर अगले कार्य दिन बैंकिंग समय की समाप्ति तक संबंधित प्रादेशिक कार्यालयों में अभिदान स्वीकार किये जायेंगे । सरकार को 900 करोड़ रुपयों से अधिक प्राप्त 10 प्रतिशत या यथासंभव उसके निकट तक के अभिदानों की रद्द लेने का अधिकार है ।

2. यदि उपर्युक्त ऋणों की कुल अभिदान राशि 990 करोड़ रुपयों से अधिक हो तो नकदी वाले अभिदातव्यों को आनुपातिक आधार पर आंशिक आवंटन किया जायेगा । यदि आंशिक आवंटन किया जाता है तो आंशिक आवंटन के बाद यथाशीघ्र अधिक अभिदान की राशि लौटा दी जायेगी । इस प्रकार लौटायी गयी राशियों पर कोई ब्याज अदा नहीं किया जायेगा ।

3. रु. 100.00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 11 मई 1997 को सममूल्य पर प्रतिदेय 10.50 प्रतिशत ऋण, 1997 (दूसरा निर्गम)

(1) वापसी अधिसूचना की तारीख :—ऋण 11 मई 1997 को सममूल्य पर वापस अदा किया जायेगा ।

(2) निर्गम मूल्य—प्रत्येक रु. 1000.00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु. 1000.00 होगा ।

(3) ब्याज—इस ऋण की ब्याज दर 14 जुलाई 1987 से वार्षिक 10.50 प्रतिशत होगी । 14 जुलाई 1987 से 10 नवम्बर 1987 (दोनों दिन मिलाकर) तक की अवधि का ब्याज 11 नवंबर 1987 को अदा किया जायेगा और उसके बाद प्रत्येक छमाही में 11 मई और 11 नवंबर को ब्याज अदा किया जायेगा । इस प्रकार अदा किये गये ब्याज पर नीचे दिये हुए अनुच्छेद 8 और 9 के उपबन्धों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर लगेगा । ब्याज की शुद्ध राशि निकटतम 5 पैसे में पूर्णांकित करने के बाद अदा की जायेगी ।

4. रु. 100.00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 11 मई 2002 को सममूल्य पर प्रतिदेय 11.00 प्रतिशत ऋण, 2002 (दूसरा निर्गम)

(1) वापसी अधिसूचना की तारीख :—ऋण 11 मई 2002 को सममूल्य पर वापस अदा किया जायेगा ।

(2) निर्गम मूल्य—प्रत्येक रु. 1000.00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु. 1000.00 होगा।

(3) ब्याज—इस ऋण की ब्याज दर 14 जुलाई 1987 से वार्षिक 11.00 प्रतिशत होगी। 14 जुलाई 1987 से 10 नवंबर 1987 (दोनों दिन मिलाकर) तक की अवधि का ब्याज 11 नवंबर 1987 को अदा किया जायेगा और उसके बाद प्रत्येक छमाही में 11 मई और 11 नवंबर को ब्याज अदा किया जायेगा। इस प्रकार अदा किये गये ब्याज पर नीचे दिये हुए अनुच्छेद 8 और 9 के उपबन्धों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर लगेगा। ब्याज की शुद्ध राशि निकटतम 5 पैसे में पूर्णांकित करने के बाद अदा की जायेगी।

परिवर्तन की शर्तें

5. 6.00 प्रतिशत ऋण, 1987 और 5½ प्रतिशत ऋण, 1987 की प्रतिभूतियों सममूल्य पर नये ऋणों में परिवर्तन के लिये स्वीकार की जायेंगी। परिवर्तन के लिये प्रस्तुत की जाने वाली 6.00 प्रतिशत ऋण, 1987 की प्रतिभूतियों पर 1 जुलाई 1987 सहित उस तारीख तक 6.00 प्रतिशत की दर पर ब्याज अदा किया जायेगा। इसके अलावा नयी प्रतिभूतियां जारी करते समय 12 दिनों के लिये (अर्थात् 2 जुलाई 1987 से 13 जुलाई 1987 तक) आवेदित नये ऋण की ब्याज दर अर्थात् यथास्थिति 10.50 प्रतिशत या 11.00 प्रतिशत वार्षिक के अनुसार पूर्वानुमानित ब्याज अदा किया जायेगा। नयी प्रतिभूतियां जारी करते समय परिवर्तन के लिये प्रस्तुत की जाने वाली 5½ प्रतिशत ऋण, 1987 की प्रतिभूतियों पर 13 जुलाई 1987 सहित उस तारीख तक वार्षिक 5½ प्रतिशत की दर पर ब्याज अदा किया जायेगा।

पूरक व्यवस्थाएं

6. आवेदन-पत्र निम्नलिखित कार्यालयों में स्वीकार किये जायेंगे :—

(क) अहमदाबाद, बंगलूर, भुवनेश्वर, बंबई (फोर्ट और भायखला), कलकत्ता, गौहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली, पटना और तिरुवनन्तपुरम में स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय; और

(ख) उपर्युक्त (क) में दिये गये स्थानों को छोड़कर भारत में सभी जिला मुख्यालयों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं।

7. ब्याज अदा करने का स्थान : इन ऋणों पर भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलूर, भुवनेश्वर, बंबई, कलकत्ता, गौहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली, पटना और तिरुवनन्तपुरम में स्थित लोक ऋण कार्यालयों तथा भारत के जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम राज्यों को छोड़कर अन्यत्र किसी राजकोष या उप-राजकोष में ब्याज अदा किया जायेगा।

8. ब्याज अदा करते समय (वार्षिक वित्त अधिनियमों द्वारा निर्धारित दरों पर) काटे गये कर की वापसी अदायगी उन ऋण-धारकों को प्राप्त होगी जिन पर कर लागू नहीं है या जिन पर ऐसी दरों पर कर लागू होता है जो काटे गये कर की दर से कम हों।

जिस धारक पर कर लागू नहीं है या निर्धारित दर से कम दर पर कर लागू है वह जिले के आयकर अधिकारी को आवेदन कर उन से एक ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है जिसमें यह प्राधिकृत किया गया हो कि कर की कटौती किये बिना या धारक पर लागू होने वाली न्यूनतम दर पर कर की कटौती करके उसे ब्याज अदा किया जाये।

भारत का निवासी ऐसा व्यक्ति जिसकी कुल आय छूट की सीमा से अधिक नहीं है, ब्याज अदा करने के लिये जिम्मेवार व्यक्ति को निर्धारित फार्म में दो प्रतियों में घोषणा-पत्र भेजने पर कर की कटौती किये बिना ब्याज की राशि प्राप्त कर सकता है।

9. अब जारी किये जाने वाले ऋणों पर ब्याज और इसके पहले की अन्य सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज तथा अन्य अनुमोदित निवेशों से मिलने वाली आय को वार्षिक 7,000 रुपयों की सीमा तक और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80ट के अन्य उपबन्धों के अधीन आयकर से छूट प्राप्त होगी।

10. अब जारी किये जाने वाले ऋणों में किये जाने वाले निवेशों के मूल्य और इसके पहले सरकारी प्रतिभूतियों में किये गये अन्य निवेशों और संपत्ति कर अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट अन्य निवेशों के मूल्य को भी अधिनियम में निर्दिष्ट सीमा तक संपत्ति कर से छूट प्राप्त होगी।

11. प्रतिभूतियां केवल स्टाक प्रमाणपत्रों के रूप में जारी की जायेंगी।

12 ऋणों के लिये आवेदनपत्र—ऋणों के लिये आवेदनपत्र रु. 1000 या उसके गुणजों के लिये होने चाहिये।

13 आवेदनपत्र इसके साथ संलग्न फार्म में या किसी ऐसे दूसरे फार्म में होने चाहिये जिसमें अर्पित प्रतिभूतियों की राशि आवेदक का पूरा नाम और पता तथा उस कार्यालय का स्पष्ट उल्लेख हो जहां आवेदक ब्याज की अदायगी को अपेक्षा करता है।

14 आवेदनपत्रों के साथ आवश्यक राशि नकदी या चैक या परिवर्तन के लिये प्रस्तुत की जाने वाली 6.00 प्रतिशत ऋण, 1987 और/या 5½ प्रतिशत ऋण, 1987 की प्रतिभूतियों के रूप में प्रेषित की जानी चाहिये। भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने वाले चैक संबंधित बैंक के नाम आहरित किये जाने चाहियें।

परिवर्तन के लिये प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूतियां धारक द्वारा सरकार को निम्न प्रकार अंतरित की जायें :—

(1) यदि स्टाक प्रमाणपत्रों के रूप में हों तो प्रमाणपत्र के पीछे अंतरण विलेख के फार्म पर किसी साक्षी के समक्ष हस्ताक्षर करके,

(2) यदि बचतपत्रों के रूप में हों तो उन्हें निम्नप्रकार से पृष्ठांकित किया जाये :

"भारत के राष्ट्रपति को अदा करें"

15. स्वीकृत बैंकों को उनके द्वारा अपने ग्राहकों की ओर से प्रस्तुत ऋण आवेदनपत्रों पर किये गये आबंटनों पर तथा दलालों को उनके द्वारा प्रस्तुत और उनकी मुहरयुक्त ऋण आवेदनपत्रों पर किये गये आबंटनों पर प्रति रु 100.00 (सांकेतिक) 6 पैसे की दर पर दलाली अदा की जायेगी। बैंक-वाणिज्य और सहकारी बैंक—उनके अपने ग्राहकों के लिये दलाली की अदायगी के पात्र नहीं होंगे।

दलाली की अदायगी के लिये ऋण जारी किये जाने की तारीख से छः महीने के भीतर संबंधित कार्यालयों में दावा पेश किया जाना चाहिये।

राष्ट्रपति के आदेश से,

बी. बालसुब्रमणियन, अपर बजट अधिकारी

आवेदन-पत्र का फार्म

मैं/हम*————————————————————————————————

(पूरा/पूरे नाम)

————————————————————————————————

इसके साथ रु.————————————(————————————————रुपये) के लिये नकदी*/रु.————————————(————————————————रुपये) के सांकेतिक चैक

मूल्य की 6.00 प्रतिशत ऋण, 1987/5½ प्रतिशत ऋण, 1987 की प्रतिभूतियां प्रस्तुत करता हूं/करते हैं और यह अनुरोध करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें* स्टाक प्रमाण-पत्रों मेरे/हमारे एस जी एल खाते में जमा के रूप में रु ————————————के सांकेतिक मूल्य की 10.50 प्रतिशत ऋण 1997 (दूसरा निर्गम)* /11.00 प्रतिशत ऋण, 2002 (दूसरा निर्गम)* की प्रतिभूतियां जारी की जायें।

2. मैं/हम* चाहता हूं/चाहते हैं कि उनका ब्याज————————में अदा किया जाये।

विशेष टिप्पणी : इस खाने में आवेदक कुछ न लिखे।

प्रविष्टियां आदाता कार्यालय द्वारा की जायेंगी।

	आद्यक्षर	दिनांक
आवेदन पत्र सं.		
"दलाली नहीं" मुहर		
नकदी प्राप्त होने की तारीख		
चैक वसूल होने की तारीख		
विशेष चालू खाते में जमा करने की तारीख		
जांच की गयी		
नकदी आवेदनपत्रों के रजिस्टर में दर्ज किया गया		
दलाली रजिस्टर में दर्ज किया गया		
मांग पत्र सं		
प्रतिभूति सं		
कार्ड सं.		
वाउचर पारित करने की तारीख		

हस्ता.

पूरा(पूरे) नाम————————

पता————————

————————

दिनांक : जुलाई 1987

*जो आवश्यक न हो उसे काट दिया जाये।

टिप्पणियां (1) परिवर्तन के लिये प्रस्तुत प्रतिभूतियां यदि वचनपत्रों के रूप में हों तो उन्हें आवेदक/कों के हस्ताक्षरों सहित इन शब्दों के साथ पृष्ठांकित किया जाये—"भारत के राष्ट्रपति को अदा करें" और यदि वे स्टाक प्रमाणपत्रों के रूप में हों तो उनके पीछे दिये गये अंतरण विलेख पर आवेदक किसी साक्षी के समक्ष हस्ताक्षर करें/करें।

(2) प्रत्येक ऋण, अपेक्षित नये ऋण के अभिदान के प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति के लिये अलग-अलग आवेदन दिया जाये।

(3) यदि आवेदक का हस्ताक्षर अंगूठे के निशान के रूप में हो तो दो व्यक्ति उसके साक्षी हों। साक्षियों के हस्ताक्षरों के नीचे उनके पूरे नाम, व्यवसाय और पते दिये जाय।

(4) यदि आवेदन किसी पंजीकृत निकाय के नाम से किया जाये तो निवेश आवेदनपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज यदि वे लोक ऋण कार्यालय में पहले ही पंजीकृत न किये गये हों तो संलग्न किये जायें —

(i) निगमन/पंजीकरण का मूल प्रमाणपत्र या कार्यालय के मुद्रांक के अधीन जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित उसकी सत्य प्रतिलिपि।

(ii) कंपनी/निकाय के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों या नियमों और विनियमों/उप-नियमों की प्रमाणित प्रतिलिपियां।

(iii) कंपनी/निकाय की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों का लेनदेन करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति(यों) के पक्ष में किये गये संकल्प की प्रमाणित/प्रतिलिपि, उसके/उनके विधिवत् सत्यापित नमूना हस्ताक्षर/हस्ताक्षरों के साथ।

(5) आवेदकों को, उन्हें जारी किये जाने वाले स्टाक प्रमाणपत्र/पत्रों पर छमाही ब्याज के प्रेषण के लिये आदेश फार्म (लोक ऋण कार्यालय से उपलब्ध) भी भरना चाहिये।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 29th June, 1987

NOTIFICATION

No. F. 4(5) W&M|87.—Subscriptions for the issues of 10.50 per cent. Loan, 1997 (Second Issue) and 11.00 per cent. Loan, 2002 (Second Issue) for an aggregate amount of Rs. 900 crores will be received in the form of cash or of securities of Government of India 6.00 per cent. Loan, 1987 and 5-1|4 per cent. Loan, 1987 on the 14th July 1987 upto the close of Banking hours. In the event of 14th July 1987 being declared a holiday by any State Government under the Negotiable Instruments Act, 1881, the subscriptions will be received at the concerned receiving offices in that State upto the close of Banking hours on the next working day. Government reserve the right to retain subscriptions received upto 10 per cent. or as near thereto as possible in excess of the sum of Rs. 900 crores.

2. If the total subscriptions to the aforesaid loans exceed the sum of Rs 990 crores, partial allotment will be made to the subscribers in cash on a proportionate basis If partial allotment is made, the excess subscriptions will be refunded as soon as possible after partial allotment. No interest will be paid on the amounts so refunded.

3. 10.50 per cent. Loan, 1997 (Second Issue) issued at Rs. 100.00 per cent. and redeemable at par on the 11th May 1997.

(i) Date of Repayment—The Loan will be repaid at par on the 11th May 1997.

(ii) Issue Price—The issue price will be Rs. 1000.00 for every Rs. 1000.00 (Nominal).

(iii) Interest—The Loan will bear interst at the rate of 10.50 per cent. per annum from 14th July 1987. Interest for the period from 14th July 1987 to 10th November 1987 (inclusive) will be paid on 11th November 1987 and thereafter interest will be paid half-yearly on the 11th May and 11th November. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 8 and 9 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961. The net amount of interest will be paid after rounding off to the nearest 5 paise.

4. 11.00 per cent. Loan, 2002 (Second Issue) issued at Rs. 100.00 per cent and redeemable at par on the 11th May 2002.

(i) Date of Repayment.—The Loan will be repaid at par on the 11th May 2002.

(ii) Issue Pice—The issue price will be Rs. 1000.00 for every Rs. 1000.00 (Nominal).

(iii) Interest—The Loan will bear interest at the rate of 11.00 per cent per annum from 14th July 1987. Interest for the period from 14th July 1987 to 10th November 1987 (inclusive) will be paid on 11th November 1987 and thereafter interest will be paid half-yearly on the 11th May and 11th November. The interst paid will, subject to the provisions of pararaphs 8 and 9 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961. The net amount of interest will be paid after rounding off to the nearst 5 paise.

CONVERSION TERMS

5. The securities of 6 00 per cent. Loan 1987 and 5-1|4 per cent. Loan, 1987 will be accepted for conversion into the new loans at par. Interest on the securities of 6.00 per cent. Loan, 1987 tendered for conversion will be paid at the rate of 6.00 per cent. upto and inclusive of 1st July 1987. In addition anticipatory interest for 12 days (i.e. from 2nd July 1987 to 13th July 1987) will be paid according to the rate of interest of the new loan applied for, i.e. 10 50 per cent or 11.00 per cent per annum, as the case may be, at the time of issue of new securities. Interst on the securities of 5-1|4 per cent. Loan, 1987 tendered for conversion will be paid upto and inclusive of 13th July 1987 at the rate of 5-1|4 per cent. per annum at the time of issue of new securities.

SUPPLEMENTRY PROVISIONS

6. Applications will be received at :

(a) Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Bombay (Fort and Byculla), Calcutta, Gauhati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi, Patna and Trivandrum; and

(b) Branches of the State Bank of India at all the District Headquarters in India except at (a) above,

7. Place of payment of Interest—Interest on the Loans will be paid at the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India at Ahemdabad, Bangalore, Bhubaneswar, Bombay, Calcutta, Gauhati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi, Patna and Trivandrum and at any Treasury or Sub-Treasury elsewhere in India except the States of Jammu and Kashmir and Sikkim.

8 Refunds of tax deducted at the time of payment of interest (at the rates prescribed by the Annual Finance Acts) will be obtainable by holders of the Loan who are not liable to tax or who are liable to tax at rates lower than the rate at which tax was deducted.

A holder who is not liable to tax or who is liable to tax at a rate lower than the prescribed rate, can obtain, on application, a certificate from the

Income tax Officer of the district authorising payment of interest to him without deducion of tax or with deduction of tax at such lower rate as may be applicable to the holder.

An individual resident in India whose total income does not exceed the exemption limit can obtain on furnishing a declaration in the prescribed form in duplicate to the person responsible for paying the inerest, the amount of interest without deduction of tax.

9. Interest on the Loans now isued together with interest on other previous Government Securities and income from other approved investments will be exempted from income-tax subject to a limit of Rs. 7,000 per annum and subject to the other provisions of Section 80L of the Income-tax Act, 1961.

10. The value of investments in the Loans now issued together with the value of other previous investments in Government Securities and the other investments specified in Section 5 of the Wealth-tax Act will also be exempted from the wealth-tax upto the limit specified in the Act.

11. The securities will be issued in he form of stock only.

12. Applications for the loans.—Applications for the loans must be for Rs. 1000 or a multiple of that sum.

13. Applications may be in the form attached hereto or in any other form which states clearly the amount, the full name and address of the applicant and the office at which he desires the interest to be paid.

14. Applications should be accompanied by the necessary payment in the form of cash or cheque or securities of the 6.00 per cent. Loan, 1987 and|or 5-1|4 per cent. Loan, 1987 which are being offered for conversion. Cheques tendered at the office of the Reserve Bank of India or the State Bank of India should be drawn in favour of the bank concerned.

The securities tendered for conversion must be transferred by the holder to the Government—

(i) in the case of Stock Certificates, by signing the form of transfer deed on the reverse of the certificate before a witness.

(ii) in the case of Promissory Notes, by endorsing them in the manner indicated below—

'Pay to the President of India.'

15. Brokerage will be paid at the rate of 6 paise per Rs. 100.00 (Nominal) to recognised banks on allotments in respect of applications for the loans tendered by them on behalf of their clients and brokers on allotments made in respect of applications for the loans tendered by them and bearing their stamp. Banks—Commercial and Co-operative banks—will not be eligible for payment of brokerage in respect of their own subscriptions.

The claim for payment of brokerage should be preferred at the concerned officers within six months from the date of floatation of the loans.

By order of the President,

V. BALASUBRAMANIAN, Addl. Budget Officer.

FORM OF APPLICATION

I/We* ....
(Full Name(s) in Block Letters)

....
herewith tender *Cash/Cheque for Rs..................(Rupees..................................)/*Securities of 6.00 per cent. Loan, 1987/5½* per cent, Loan 1987 of the nominal value of Rs..................(Rupees............................ ....) and request that Securities of 10.50 per cent. Loan, 1997 (Second Issue;*/11.00 per cent. Loan, 2002 (Second Issue)* of the nominal value of Rs..... ....may be issued to me/us*in the form of Stock Certificate/Credit to my/our S.G.L. A/c.

2. I/We* desire that interest be paid at..

N.B.—The applicant should not write anything in this cage. The entries will be filled in by the Receiving Office

	Initials	Date
Application No.	....	....
N.B. Stamp	....	....
Cash Received on	....	....
Cheque Realised on	....	....
Credited to Special Current Account on	....	....
....	....	....
Examined	....	....
Cash Applications Register posted	....	....
Brokerage Register posted	....	....
Indent No	....	....
Scrip No.	....	....
Card No	....	....
Voucher passed on	....	....

Signature(s) ....

Name(s) in full..................................
(Block Letters)
....

Address ....
....
....
....
....
....

Dated the.........................of July 1987.

*Delete what is not required.

Notes:—(1) Securiestis tendered for conversion should be endorsed with the words 'Pay to the President of India' over the signature of the applicant/s, if they are in the form of Promissory Notes and the transfer deed on the reverse should be signed by him/them before a witness, if they are in the form of Stock Certificates.

(2) Separate applications should be made for each Loan, each form of subscription of the New Loan required.

(3) If the applicant's signature is by thumb mark, it should be witnessed by two persons. The full names, occupations and addresses of the witnesses should be appended to their signatures.

(4) If the application is made in the name of the registered body, the undernoted documents, if not already registered at the Public Debt Office, should be enclosed with the investment application:—

(i) Certificate of Incorporation/Registration in original or a copy thereof certified as true by the issuing authority under his office seal.

(ii) Certified copies of Memorandum and Articles of Association or the Ruless and Regulations/Bye-laws of the company/body.

(iii) Certified copy of resolution in favour of the person/s authorised to deal in Government Securities on behalf of the company/body together with his/their duly attested specimen signature(s).

(5) Applicants should also complete a Mandate Form (obtainable from Public Debt Office) for remittance of half-yearly interest on stock certificate/s issued to them.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987